



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 04.06.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना मैलानी पुलिस द्वारा दहेज हत्या में वांछित अभियुक्त केदार उर्फ दयाल पुत्र रामस्वरूप को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 04.06.2021 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 214/21 धारा 498ए/304बी/316 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त केदार उर्फ दयाल पुत्र रामस्वरूप निवासी नीमगांव ग्रन्ट नं0 10 थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना सम्पूर्णनगर पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 32 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद कर अभियुक्त वग्गा सिंह को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सम्पूर्णनगर पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान इन्डो नेपाल बोर्डर से अभियुक्त वग्गा सिंह पुत्र स्व० अमरजीत सिंह निवासी टाटरगंज थाना हजारा जनपद पीलीभीत को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 32 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना सम्पूर्णनगर पर एनडीपीएस की सुसंगत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

वग्गा सिंह पुत्र स्व० अमरजीत सिंह निवासी टाटरगंज थाना हजारा जनपद पीलीभीत

बरामदगी:-

32ग्राम ब्राउन शुगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० हीरालाल रावत , थाना सम्पूर्णनगर
2. हे० का० रामशब्द यादव
3. का० इंद्रेश कुमार
4. निरीक्षक विकसित कुमार,एसएसबी
5. आरक्षी रामस्नेही यादव,एसएसबी
6. महिला आरक्षी मोनिका ठाकुर,एसएसबी

थाना पसगवां पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर अभियुक्त छोटेलाल पुत्र कालीचरण को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पसगवां पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर अभियुक्त छोटेलाल पुत्र कालीचरण निवासी मियांपुर थाना पसगवां जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना पसगवां पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तारी अभियुक्त का विवरण:-

छोटेलाल पुत्र कालीचरण निवासी मियांपुर थाना पसगवां जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या का वांछित अभियुक्त त्रिपाली पुत्र शंकर को गिरफ्तार किया गया, आलाकल्ल खुरपा बरामद



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 04.06.2021 को थाना धौरहरा पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या का आरोपी मु0अ0सं0 217/21 धारा 302 भादवि में वांछित अभियुक्त त्रिपाली पुत्र शंकर निवासी ग्राम बाछेपारा बिंजहा थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

त्रिपाली पुत्र शंकर निवासी ग्राम बाछेपारा बिंजहा थाना धौरहरा जनपद खीरी

बरामदगी:-

आलाकल्ल खुरपा

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

प्रभारी निरीक्षक विद्यासागर पाल, थाना धौरहरा

मु0आ0 संजय कुमार सिंह

मु0आ0 सगीर अहमद

का0 शैलेन्द्र कुमार

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त हृदेश मोहनखरे को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 04.06.2021 को थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 234/21 धारा 188/269/270 भादवि व 25(9)/30 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त हृदेश मोहनखरे पुत्र स्व0 कामता प्रसाद निवासी संतोष नगर कालौनी द्वारिकापुरी थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

हृदेश मोहनखरे पुत्र स्व0 कामता प्रसाद निवासी संतोष नगर कालौनी द्वारिकापुरी थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 वेदपाल सिंह
मु0आ0 श्रवण कुमार
का0 सतेन्द्र कुमार

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 270 लीटर अवैध शराब, 04 शराब भट्टी बरामद कर 11 अभियुक्त गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 270 लीटर अवैध कच्ची शराब, 04 अवैध शराब भट्टी व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद कर 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 11 अभियोग पंजीकृत किए गए। आगे भी अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर गिरफ्तारी एवं बरामदगी निरन्तर प्रचलित रहेगी।

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, घर का रास्ता भूलकर भटके हुए 02 अबोध बच्चों को 03 घंटे के अन्दर सकुशल परिवारीजन के सुपुर्द किया गया

दिनांक 03.06.2021 की दोपहर थाना धौरहरा पुलिस को गस्त के दौरान ग्राम ठाकुरनपुरवा में 07 वर्षीय एक बालक एवं 04 वर्षीय एक बच्ची भटकते हुए मिले। पुलिस द्वारा बच्चों से उनके नाम पता के विषय में जानकारी करने की कोशिश की गयी परन्तु बच्चे सिर्फ अपना नाम ही बता पाये जिसके बाद पुलिस द्वारा बच्चों को अपनी सुरक्षा में लेकर थाने लाया गया तथा बच्चों के परिजनों का पता लगाने के लिए विभिन्न वाट्सएप ग्रुप एवं सोशल मीडिया में बच्चों की फोटो प्रसारित करायी गयी जिसके परिणामस्वरूप 03 घण्टे के अन्दर बच्चों के परिजन थाने आये तथा बच्चों की पहचान अरुण (उम्र 07 वर्ष) पुत्र राहुल गौतम निवासी ग्राम ढखेरवा खालसा थाना निघासन जनपद खीरी एवं शिवानी (उम्र 04 वर्ष) पुत्री राजेश गौतम निवासी ग्राम मुरावनपुरवा थाना धौरहरा जनपद खीरी के रूप में हुई। बच्चों के परिजन द्वारा बताया गया की दोनों बच्चे खेलते-खेलते घर का रास्ता भूलकर भटक गये थे। बच्चों के परिजन के विषय मे पूछताछ एवं तस्दीक कर बच्चों को उनके सुपुर्द किया गया। अपने बच्चों को सकुशल पाकर परिवारीजन द्वारा पुलिस के सराहनीय कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

पुलिस टीम:-

1. उपनिरीक्षक राजेश कुमार यादव
2. हे0का0 विजय पांडे
3. का0 कर्मवीर सिंह
4. का0 शिवकुमार

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त महेश को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्ष महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा महेश पुत्र खजान्ची नि० तेतारपुर पश्चिम थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से ०१ अदद अवैध तमंचा १२ बोर व ०१ अदद जिन्दा कारतूस १२ बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० २२३/२१ धारा ३/२५ आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना फरधान पुलिस द्वारा ०४ अभियुक्तों पर २/३ यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्ष महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध कि रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना फरधान पुलिस द्वारा ०४ अभियुक्तों १. प्रखर शुक्ला उर्फ डब्बू २. प्रशान्त शुक्ला ३. मयंक शुक्ला पुत्रगण स्व० अवधेश शुक्ला ४. अखिलेश उर्फ उत्तम पुत्र सरजू प्रसाद नि०गण बरखेरवा थाना फरधान जनपद खीरी के विरुद्ध २(ख) १/३ उ०प्र० समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा गैंग बनाकर जनता में भय फैलाकर भौतिक व आर्थिक लाभ लेने के लिए दिन दहाड़े दो व्यक्तियों की निर्मम हत्या करने के कारण २/३ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई।

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 08 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 08 अभियुक्तों 1. सोनू गुप्ता पुत्र श्री निवास 2. अनूप पुत्र अनिल गुप्ता 3. सत्री कटियार पुत्र नरेश कटियार 4. रमित पुत्र रावेन्द्र सिंह 5. आयुष शुक्ला पुत्र विनीत कुमार शुक्ला 6. अमरजीत पुत्र रमेश चन्द्र 7. रामजी पुत्र सुरेन्द्र 8. आजाद पुत्र रहीश निगण कस्बा व थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 2,070 रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 294/21 धारा 13 जुआं अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अवैध रूप से बिक्री हेतु ले जाई जा रही 20 अदद पऊआ सोनपरी देशी शराब व 06 अदद पऊआ विन्डीज देशी शराब सहित अभियुक्त बबलू को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त बबलू पुत्र स्व0 छोटेलाल नि0 लालपुर बैडियर चौराहा थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 20 अदद पऊआ सोनपरी देशी शराब व 06 अदद पऊआ विन्डीज देशी शराब बरामद की गई। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 505/21 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **270 लीटर अवैध कच्ची शराब** बरामद कर **04 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 11 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना मितौली	100 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना गोला	50 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना फूलबेहड़	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना मैगलगंज	30 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना नीमगांव	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना ईसानगर	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना खीरी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
8.	थाना मैलानी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	270 लीटर	11 अभियुक्त गिरफ्तार